# कानपुर नगर निगम

## मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30.05.2014 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

### अपरान्ह 04.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/39 /सचिव (न.नि.)/14–15

दिनांक :-13-06-2014

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/.................................................,

पार्षद वार्ड सं0........./सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30.05.2014 दिन शुक्रवार की आहूत बैठक, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 22 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त प्रथम /द्वितीय महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

**दिनांक–30.05.2014 दिन शुक्रवार को सायं 04:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थिति समिति कक्ष में कार्यकारिणी समिति की आहूत बैठक का कार्यवृत्त :–**

**उपस्थिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री जगतवीर सिंह द्रोण | महापौर / सभापति |
| 2. | श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' | पार्षद / उप सभापति |
| 3. | श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' | पार्षद / सदस्य |
| 4. | श्रीमती उत्तम दुबे | पार्षद / सदस्य |
| 5. | श्री जितेन्द्र कुमार | पार्षद / सदस्य |
| 6. | श्री संदीप जायसवाल | पार्षद / सदस्य |
| 7. | श्री कमलेश | पार्षद / सदस्य |
| 8. | श्री आलोक दुबे | पार्षद / सदस्य |
| 9. | श्री आदर्श दीक्षित | पार्षद / सदस्य |
| 10. | श्री राकेश साहू | पार्षद / सदस्य |
| 11. | श्री मदन लाल | पार्षद / सदस्य |
| 12. | श्री कैलाश नाथ पाण्डेय | पार्षद / सदस्य |

**अधिकारीगण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री आर.एन.बाजपेई | नगर आयुक्त |
| 2. | श्री डी. के. गुप्ता | मुख्य वित्त एवं लेखााधिकारी |
| 3. | डा0 पंकज श्रीवास्तव | नगर स्वास्थ्य अधिकारी |
| 3. | श्री तरूण कुमार शर्मा | मुख्य अभियंता ''सिविल'' |
| 4. | श्री राकेश मोहन अस्थाना | मुख्य अभियंता ''वि0 / यॉ0'' |
| 5. | श्री राजीव बाजपेई | महाप्रबन्धक,जलकल |

सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये समिति के सदस्यों से कहा कि 04 मार्च, 2014 को चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत बैठक आहूत नही की जा सकी, जिसके कारण बहुत से महत्वपूर्ण समयान्तर्गत प्रस्तावों पर विचार किया जाना था, उन पर भी विचार नही किया जा सका है। अतः ऐसे प्रस्तावों पर सर्वप्रथम विचार कर लिया जाये और कार्यसूची के अन्य प्रस्तावों पर विचार किया

ह0........महापौर

जायेगा। नगर आयुक्त से कहा कि भविष्य में कार्यसूची तैयार करते समय प्रशासनिक प्रस्तावों को वरीयता के आधार पर प्राथामिकता दी जाये।

तत्क्रम में सभापति के आदेशानुपालन में नगर आयुक्त ने मुख्य अभियन्ता को कार्यसूची में अंकित प्रस्तावों में से सर्वप्रथम पृष्ठ संख्या–58 पर अंकित प्रस्ताव संख्या–253 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

**प्रस्ताव संख्या–280**

उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक डी/213/उपा/मुननि/काविप्रा/13–14 दिनांक 25.02.2014 पर नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 28.02.2014 के क्रम में निम्न प्रस्ताव नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 129 की उपधारा 4 व 5 के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है–

कानपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20.02.2014 को फूलबाग उद्यान के सौन्दर्यीकरण, जिसमें किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल के सामने फूलबाग उद्यान की खाली पड़ी खुली भूमि पर लैण्ड स्केपिंग एवं स्पैस्टिक सेन्टर (गणेश उद्यान) की लगभग 8000.00 वर्ग मीटर भूमि पर बेसमेन्ट में पार्किंग व दुकानों हेतु परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त हेतु उपाध्यक्ष का0वि0प्रा0 ने अपने पत्र सं0 डी/213/उपा/मुननि/काविप्रा/13–14 दिनांक 25.02.2014 एवं पत्र सं. डी/447/अ.अ.(1)/काविप्रा/13–14 दिनांक 24.03.2014 के द्वारा फूलबाग के सौन्दर्यीकरण के उक्त कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

1. इस काम्प्लेक्स के निर्माण के पश्चात दुकानों को लीज के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विक्रय किया जायेगा तथा दुकानों की बिक्री से होने वाली आय से प्राधिकरण व्यय की गई धनराशि (ब्याज जोड़ते हुये) पर 15 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय जोड़ते हुये लेगा।
2. शेष आय तथा पार्किंग से होने वाली आय नगर निगम की होगी।
3. प्राधिकरण द्वारा पूरा काम्प्लेक्स पार्किंग तथा गार्डेन नगर निगम को हस्तानान्तरित किया जायेगा। इसका रख–रखाव नगर निगम द्वारा किया जायेगा।
4. निर्माण के बाद नगर निगम तथा प्राधिकरण के मध्य एम.ओ.यू. निष्पादित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार कानपुर विकास प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

मुख्य अभियंता ने समिति के सभी सदस्यों को बताया कि जिस प्रकार लखनऊ में हजरतगंज, सरोजनी नायडू नगर एवं लालबाग में भूमिगत पार्किंग तैयार हुई है, उसी प्रकार सुगम यातायात हेतु यह प्रस्तावना कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

ह0........महापौर

नगर आयुक्त द्वारा भी समिति के सदस्यों के संज्ञान में लाया गया कि वाहनों के इधर–उधर खड़ा होने पर यातायात अवरूद्ध होता है, उन्हें सुव्यवस्थित पार्किंग कराकर शहर को अतिक्रमण से निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और इस स्थल पर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों को तैयार कर बिक्री की जायेगी, विक्रय के पश्चात् स्थल पर स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा। केवल नगर निगम से अनापत्ति निर्गत की जानी है।

सभापति ने नगर निगम हित में सभी सदस्यों से स्वीकृत प्रदान करने हेतु विचार प्रस्तुत करने के लिये कहा।

**............ स्वीकृति प्रदान की गई।**

**प्रस्ताव संख्या–281**

**श्री सत्येन्द्र मिश्रा (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–**

कानपुर नगर निगम में रू० 01 से लेकर अधिकतम धनांक तक की ई–टेंडरिंग लागू की गई है, जिसके कारण नगर निगम के द्वारा विकास कार्यो के टेण्डर कई बार आमंत्रित किये जाने के बाद भी टेण्डर प्राप्त नही होते है और नगर निगम द्वारा विज्ञापन में अनावश्यक रूप से लाखों रूपये का व्यय किया जा चुका है।

मेरा प्रस्ताव है कि ई–टेंडरिंग प्रक्रिया रू० 08-00 लाख से अधिक के कार्यो में लागू की जानी चाहिये, जिससे नगर निगम के द्वारा जो छोटे–छोटे कार्य त्वरित व्यवस्था के अन्तर्गत कराये जाते है उनमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो, क्योंकि नगर निगम में अधिकतम कार्य काफी छोटे धनांक के होते है तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े होते है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर मा० कार्यकारिणी समिति विचार कर उक्त प्रस्ताव को पारित किये जाने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि आपातकालिक स्थिति के लिये यथा अचानक नाला बैठ जाना, सड़क धंस जाना, पुलिया टूट जाना इत्यादि कार्यो के लिये नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–117(6)बी के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा कार्य कराये जाते है तथा शासन द्वारा पूर्व निर्धारित शासनादेश के तहत रू0 01:00 लाख तक की सामग्री आपूर्ति के कार्य सूचना पत्र (टेण्डर नोटिस) के माध्यम से कराये जाते रहे है, अन्य कार्यो के लिये यह व्यवस्था लागू नही होती।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि उ0प्र0 शासन ने टेण्डर नोटिस के माध्यम से कार्यो को कराने के लिये रू0 01:00 लाख की सीमा में वृद्धि करते हुये रू0 05:00 लाख करने पर विचार किया जा रहा है।

ह0........महापौर

सभापति ने स्पष्ट किया कि लखनऊ नगर निगम की भाँति रू0 08.00 लाख तक के कार्यो को पूर्व की भाँति सामान्य निविदा पद्धति से कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

**............ ई–टेन्डरिंग के माध्यम से ही निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

**<u>प्रस्ताव संख्या–282</u>**

कार्यालय पत्र सं0 डी/21/सम्पत्ति/14–15 दिनांक 27.05.2014 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

कानपुर महानगर के पॉश इलाका स्थित वी.पी. श्रीवास्तव मार्केट 96/11 परेड जो नजूल प्लाट नं.–2 ब्लाक–96 पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 3145.52 वर्गमीटर है। उक्त भूमि का पट्टा शासनादेश संख्या 4193/11–443 डी दिनांक 05.12.1904 से आरम्भ होकर 90 वर्षों के उपरान्त दिनांक 04.12.1994 को समाप्त हुआ। तत्पश्चात शासनादेश सं. 2093/9–आ–4–94–293एन/90 दिनांक 03.10.1994 के अन्तर्गत निर्धारित फ्री होल्ड आवेदन प्रपत्र पर रू. 100 के ट्रेजरी चालान सहित कार्यालय पत्र सं डी/174/नजूल/94–95 दिनांक 04.03.1995 के द्वारा विधिवत फ्री होल्ड आवेदन प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त शासनादेश सं. 2268/9–आ–4–704एन/97 दिनांक 01.12.1998 के अन्तर्गत नजूल की फ्री होल्ड नीति में संशोधन हुआ तथा उक्त शासनादेश में प्रचलित सर्किल रेट पर आगणित कुल फ्री होल्ड धन का 1/4 भाग अग्रिम स्वमूल्यांकन धन जमा करके, जमा धन के ट्रेजरी चालान के साथ फ्री होल्ड आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। फलतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में तत्समय प्रचलित प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर आगणित 1/4 फ्री होल्ड स्वमूल्यांकन धन रू. 647706.00 ट्रेजरी चालान सं. 03 दिनांक 29.12.1998 के अन्तर्गत उपरोक्त स्वमूल्यांकन धन रू. 647706.00 शासन के कोष में नगर निगम की ओर से जमा किया गया तथा उक्त ट्रेजरी चालान सहित शासनादेश दिनांक 01. 12.1998 के अनुसार फ्री होल्ड हेतु पत्र सं. डी/119/सम्पत्ति/98–99 दिनांक 14.01.1999 द्वारा पुनः आवेदन किया गया इसके पश्चात अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के पत्र डिमांड नोटिस सं. 185/नजूल/99–2000 दिनांक 27 मार्च, 2000 के द्वारा उपरोक्त जमा धन रू. 647706.00 के समायोजनोपरान्त ब्याज सहित फ्री होल्ड धन रू. 1327389.00 नगर निगम की ओर से जमा किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। उपरोक्त वांछित धन रू. 1327389.00 नगर निगम की ओर से जमा न किये जाने के कारण उक्त धन में 20 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज जोडकर रू. 1818090 जमा किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि/रा) का पत्र सं. 185/नजूल/99–2000 दिनांक 29.07.2000 प्राप्त हुआ तथा उक्त डिमांड नोटिस द्वारा मांगे गये धन का भुगतान करने हेतु लेखाधिकारी को पत्रावली दिनांक 17.08.2000 को भेजी गई। उक्त धनराशि रू. 1818090.00 माँग के अनुसर जमा न किये जाने के कारण उक्त धन पर 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित कुल धन रू. 3931092.00 शासन के कोष में जमा किये जाने की सूचना अपर जिलाधिकारी के पत्र सं. 116/नजूल–फ्री होल्ड (183)/05–06 दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्राप्त हुई। उक्त धन के भुगतान हेतु लेखाधिकारी का पुनः पत्रावली दिनांक 24.12.2005 को प्रेषित की गई। उपरोक्तानुसार वांछित धन रू. 3931092.00 जमा न हो पाने के कारण जिलाधिकारी कानपुर नगर के

पत्र सं. 73/नजूल–फ्री होल्ड–183/07–08 दिनांक 29.12.2007 द्वारा पुनः 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित कुल रू. 5389070.00 दिनांक 31.12.2007 तक सरकारी कोष में जमा न किये जाने का डिमाण्ड नोटिस प्राप्त हुआ जिसपर विभागीय कार्यवाही की गई तथा मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के द्वारा स्वीकृत धनराशि रू. 5389070.00 अवस्थापना निधि से पी.एल.ए. चेक दिनांक 18.10.2008 के द्वारा शासन के कोष में जमा किये जाने हेतु उक्त चेक को डी/216/सम्पत्ति/08–09 दिनांक 22.10.2008 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि/रा) को प्रेषित किया गया जिसको इस आपत्ति के साथ स्वीकार नहीं किया गया कि उक्त चेक निर्धारित तिथि पर जमा करने में विलम्ब होने के कारण ब्याज बढ़ गया है। ब्याज धन सहित सम्पूर्ण धन जमा किया जाये। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के पत्र सं. 72/नजूल लिपिक/2008 दिनांक 04.11.2012 के द्वारा ब्याज सहित कुल धन रू. 6130692.00 जमा किये जाने की सूचना प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष अन्तर धन रू. 741622.00 का पी. एल.ए. चेक दिनांक 27.11.2008 बनाया गया तथा उपरोक्त दोनों चेकों का धन रू. 5389070.00 एवं 741622.00 कुल रू. 6130692.00 की चेकें पत्र सं. डी/248/यू.एन.ए.पी./एम.सी./08–09 दिनांक 02.12.2008 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि/रा) को प्रेषित की गईं। उक्त के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के पत्र सं. 81/नजूल लिपिक/08–09 दिनांक 18.12.2008 में की गई जिज्ञासानुसार दिनांक 31.12.2008 तक के ब्याज का अन्तर धन रू. 69104.00 का चेक सं. 310055 दिनांक 22.12.2008 के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक व्यावसायिक शाखा, सिविल लाइन्स, कानपुर के माध्यम से शासन के कोष में जमा कर दिया गया। उपरोक्त के पश्चात अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के पत्र सं. 85/नजूल लिपिक/08–09 दिनांक 07 जनवरी, 09 प्राप्त हुआ जिसके द्वारा सूचना दी गई कि नगर निगम द्वारा कुल धनराशि रू. 6847502.00 राज्य कोष में जमा कर दी गई साथ ही उक्त पत्र द्वारा जिज्ञासा की गई कि जमा धन रू. 6847502.00 के 07 प्रतिशत की दर पर निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर फ्री होल्ड डीड तैयार करने हेतु प्रस्तुत किये जाय जिसके अनुपालन में कार्यालय पत्र सं. डी/369/सम्पत्ति/08–09 दिनांक 28.03.2009 द्वारा रू. 479380.00 मूल्य के स्टाम्प पेपर अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर जिलाधिकारी (वि/रा), कानपुर नगर का पत्र सं. 120/नजूल–फ्री होल्ड/08–09 दिनांक 31 मार्च, 2009 प्राप्त हुआ तथा जिसके सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि/रा) को पत्र सं. डी/378/यू.एन.ए./एम.एन.ए/08–09 दिनांक 31.03.2009 प्रेषित किया गया जिसके द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि/रा) को सूचना प्रेषित की गई कि प्रश्नगत प्रकरण में कानपुर नगर निगम द्वारा 20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के पत्र दिनांक 31.मार्च, 2009 द्वारा उपरोक्त नजूल प्लाट नं.–2 ब्लाक 96/11 की 3145.52 वर्गमी. फीहोल्ड भूमि के सम्बन्ध में पुनः भूमि के आगणन धनराशि का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें जमा की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात रू. 1688806.00 दिनांक 31.03.2009 तक जमा करने हेतु प्राप्त हुआ। उपरोक्त धनराशि जमा न होने के कारण दिनांक 30.05.2011 को जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा रू. 4374453.00 शासन कोष में दिनांक 30.06.2011 तक जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसका अनुपालन नहीं हुआ है।

ह0........महापौर

जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 30.05.11 द्वारा दिनांक 30.06.11 तक की देयता रू. 4374453.00 है। उक्त तिथि के बाद से अब तक उक्त धनराशि में वृद्धि हो गयी होगी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत वी.पी. श्रीवास्तव मार्केट 96/11, परेड, कानपुर जो नजूल प्लाट नं.–2 ब्लाक–96 की 3145.52 वर्गमीटर भूमि को फ्री होल्ड कराये जाने एवं उक्त मार्केट में वैद्य काबिज लोगों को समायोजित करने एवं अवैद्य कब्जेदारों को हटाये जाने तथा उक्त स्थल पर भूमिगत पार्किंग एवं उसके ऊपर शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि इस प्रस्ताव से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम द्वारा समय से जिला प्रशासन की वाँछित धनराशि जमा न कराने पर मूलधन से ज्यादा ब्याज बढ़ता चला गया। अतः उक्त मार्केट, जो शहर के पॉश इलाके परेड में स्थित है, वहाँ पर प्रस्तावित भूमिगत पार्किंग एवं उसके ऊपर शॉपिंग काम्पलेक्स निर्मित हो जाने पर नगर निगम को विशेष आर्थिक लाभ होगा। अतः प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने का कष्ट करें।

**........... प्रकरण निक्षेपित करने हेतु प्रश्नगत नजूल प्लाट नं0–02 ब्लाक–96 की भूमि को फ्री–होल्ड करने के लिये अन्तिम एवं पूर्ण भुगतान जिला प्रशासन को करने के साथ प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।**

**प्रस्ताव संख्या–283**

नगर आयुक्त के पत्र संख्या–डी/ 126/14–15/क दिनांक 29.05.14 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के निर्देशानुसार कानपुर नगर स्थित गंगा बैराज के निकट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु बोट क्लब बनाया जाना है, इस हेतु नगर निगम निधि से रू0–25,00,000.00/–(रूपये पच्चीस लाख मात्र) का अशंदान दिये जाने की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया कि बोट क्लब बन जाने से उक्त स्थल, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जायेगा। अतः इस पर विचार किया जाये।

**........... स्वीकृति प्रदान की गई।**

**प्रस्ताव संख्या–284**

नगर आयुक्त के पत्रांक डी/455/न.आ./मु0अभि0/13–14 दिनांक 10.01.2014 पर उप सचिव, नगर विकास अनुभाग–7 के शासकीय पत्र संख्या 152ए./नौ–7–14–9(के.) /2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 की स्वीकृतोपरान्त 93 सडकों के व्ययानुमान कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

ह0........महापौर

कानपुर महानगर के समस्त अभियन्त्रण खण्डों में विभिन्न क्षेत्रों में 93 सडकों के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार नगर आयुक्त महोदय के पत्र पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 136(2) के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिसकी सूची निम्नवत है–

| क्र0स0 | कार्य का नाम | लम्बाई (मी0 में) | धनराशि (लाख में ) |
|---|---|---|---|
| **1** | जोन–1 वार्ड 2 के अन्तर्गत लक्ष्मीपुरवा में तलवामंडी चौराहे से 85/21 होते हुए भ0स0 86/22 तक सड़क फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य। | 365.00 | 38.00 |
| **2** | जोन–1 के वार्ड 40 के अन्तर्गत मूलगंज चौराहे से बॉसमण्डी चौराहे तक (लाटूश रोड दायी पटटी) फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 800.00 | 39.86 |
| **3** | जोन–1 वार्ड–50 के अन्तर्गत हाशमी तिराहे से चमनगंज पुलिस स्टेशन तक सडक नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 325.00 | 31.85 |
| **4** | जोन–1 वार्ड 59 के अन्तर्गत डी0ए0वी0 इण्टर कालेज से वी0आई0पी0 रोड से रागेन्द्र स्वरूप आडीटोरियम होते हुए भ0स0 15/60 तक सडक फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य | 266.00 | 36.02 |
| **5** | जोन–1 वार्ड 59 के अन्तर्गत नवीन मार्केट स्थित ट्रीट होटल से लैण्डमार्क होटल होते हुए मालरोड तक सडक का सुधार कार्य। | 373.00 | 37.89 |
| **6** | जोन–1 वार्ड 84 के अन्तर्गत टुकनिया पुरवा चौराहे से आज प्रेस डिप्टी पडाव चौराहे तक सडक का सुधार कार्य | 648.00 | 39.89 |
| **7** | जोन–1 के वार्ड 85 के अन्तर्गत मूलगंज चौराहे से बॉसमण्डी चौराहे तक (लाटूश रोड बायी पटटी) फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 775.00 | 39.06 |
| **8** | जोन–1 वार्ड 92 के अन्तर्गत 21/1 से तिरपाल मार्केट चौराहे तक सडक का सुधार कार्य । | 470.00 | 36.78 |
| **9** | जोन–1 वार्ड–99 के अन्तर्गत दलेलपुरवा चौराहे से डिप्टी पडाव चौराहे तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 509.00 | 38.77 |
| **10** | जोन–1 वार्ड 99 के अन्तर्गत अजमेरी होटल चौराहे से खलवा नाला रोड तक फुटपाथ एवं सडक का सुधार कार्य | 193.00 | 30.47 |
| **11** | जोन–1 वार्ड 100 के अन्तर्गत 24/167 से तारघर रोड (रामनरायण बाजार ) रोड का सुधार कार्य। | 660.00 | 38.35 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12** | जोन–1 वार्ड 100 के अन्तर्गत भवन सं 18/90 से भवन सं 17/02 बी.एस.एन.एल भवन तक क्षतिग्रस्त फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य | 660.00 | 39.99 |
| **13** | जोन–1 वार्ड 102 के अन्तर्गत 49/1 से नया गंज चौराहे एवं 47/118 से 46/66 हटिया लोहा मार्केट तक सडक का सुधार कार्य । | 106.00 | 36.32 |
| **14** | जोन–1 वार्ड 103 के अन्तर्गत में नई सडक पर कारसेट चौराहा परेड से भ0स0 41/109 तक सडक फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य। | 300.00 | 39.61 |
| **15** | जोन–2 वार्ड 86 जाजमऊ के अन्तर्गत जार्ज टेनरी (वी0 आई0 पी0 रोड) से नार्दन टेनरी एवं रोशन टेनरी होते हुए फजल अहमद (गंगा राम आटा चक्की) तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य। | 493.00 | 33.32 |
| **16** | जोन–2 वार्ड 70 तिवारी पुर में अवध टेनरी से बीमा अस्पताल तक नाली निर्माण एवं सड़क सुधार कार्य। | 656.00 | 39.98 |
| **17** | जोन –2 वार्ड 95 के अन्तर्गत मकान नं0 83 ए से 94 तक एवं ईदगाह चौराहे से मदर टेरेसा स्कूल तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य। | 690.00 | 36.96 |
| **18** | जोन–2 वार्ड 28 के अन्तर्गत मकान नं0 11/106 से रेलवे लाइन तक रोड नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 685.00 | 33.86 |
| **19** | जोन–2 वार्ड 28 के अन्तर्गत जी0 टी0 रोड (बचपन स्कूल) से कृष्णा नगर पुलिस चौकी होते हुए मकान नं0 11/106 तक रोड फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 460.00 | 37.42 |
| **20** | जोन–2 वार्ड 71 गॉधी ग्राम के अन्तर्गत मकान नं0 77/6 लाला विवेक से जमुना पुस्तकालय भवन तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़कएवं नाली का सुधार कार्य। | 250.00 | 31.64 |
| **21** | जोन–2 वार्ड 71 के अन्तर्गत मकान नं0 7/41 राजेश प्रसाद अवस्थी से वैष्णों माता मन्दिर तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य। | 658.00 | 35.56 |
| **22** | जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर बी0 ब्लाक भवन सं0 201 से 222 होते हुए मकान सं0 181 तक एव बी/118 कर्नल एस0 के0 राय एवं बी/108 तक सड़क एवं नाली का प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य। | 578.00 | 39.58 |
| **23** | जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर डी ब्लाक में मकान सं0 डी. 293 से मकन सं0 286 तक सड़क एवं नाली का प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य। | 600.00 | 38.20 |
| **24** | जोन–2 वार्ड 77 के अन्तर्गत श्याम नगर फ्लाई ओवर (यू0 के0 बैंक) से वीरेन्द्र स्वरूप चौराहे तक बाई लेन का हॉट मिक्स प्लान्ट द्वारा रोड का सुधार कार्य। | 873.00 | 39.53 |
| **25** | जोन–2 वार्ड 66 के अन्तर्गत फार्म के मोड तक सडक सुधार कार्य। | 758.00 | 34.88 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| **26** | जोन–2 वार्ड 19 सनिगवां के अन्तर्गत छतिमरा मुख्य मार्ग से टिकरिया पैगम्बर पुर गॉव की सम्पर्क मार्ग का इण्टर लाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य। | 515.00 | 36.52 |
| **27** | जोन –2 वार्ड 19 के अन्तर्गत मथुरा पुरवा से लोधनपुरवा के सम्पर्क मार्ग का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 676.00 | 39.66 |
| **28** | जोन–2 वार्ड 48 के अर्न्तगत वाई ब्लाक किदवई नगर में सी0 ओ0 डी0 नाले से विनोद द्विवेदी के मकान एवं पानी की टंकी के पीछे से होते हुये मकान 128/768 वाई से 128/781 वाई तक इंटरलॉकिग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का निर्माण कार्य। | 508.00 | 39.95 |
| **29** | जोन–2 वार्ड 71 गॉधीग्राम के अर्न्तगत देवेन्द्र सि हके मकान वैष्णों माता मंदिर होते हूये म0नं0 77/8 तक एच0एम0पी0 द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य। | 718.00 | 39.12 |
| **30** | जोन–2 वार्ड 67 के अर्न्तगत जुगैया गॉव में महेन्द्र सिंह यादव के मकान से राजकिशोर एवं संजय के मकान होते हुये प्रा0 विद्यालय तक इंटरलॉकिग टाइल्स द्वारा सडक व नाली का सुधार कार्य। | 485.00 | 32.16 |
| **31** | वार्ड 30 के अर्न्तगत बनका गॉव की विभिन्न गलियों का इंटरलॉकिग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का निर्माण कार्य। | 425.00 | 35.67 |
| **32** | वार्ड 30 के अर्न्तगत यशोदा नगर में सैनिक चौराहा होते हुये मंदिर एवं विशाल टेन्ट हाउस तक एच0एम0पी0 द्वारा सडक सुधार कार्य। | 618.00 | 33.75 |
| **33** | जोन–3 वार्ड 23 के अन्तर्गत म0न0–133/771 से मनोरमा मार्केट तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 274.00 | 39.98 |
| **34** | जोन–3 वार्ड 79 के अन्तर्गत जूही लाल कालोनी में ब्लाक न0–11 से ब्लाक न0–334 हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का सुधार कार्य। | 650.00 | 39.98 |
| **35** | जोन–3 वार्ड 55 के अन्तर्गत किदवई नगर के0 ब्लाक स्थित घनश्याम दास चौराहे से गौशाला चौराहा हमीपुर रोड तक सडक, नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 230.00 | 36.64 |
| **36** | जोन–3 वार्ड 24 के अन्तर्गत साकेत नगर में सुभाष बालिका इन्टर कालज से म0न0–127/474/डब्लू–1 तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 210.00 | 32.66 |
| **37** | जोन–3 वार्ड 24 के अन्तर्गत साकेत नगर में बारादेवी दक्षिणी द्वार के सामनें से टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास म0न0–127/840/डब्लू–1तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 180.00 | 40.00 |
| **38** | जोन–3 वार्ड 31 के अन्तर्गत जे0पी0पैलेस से पुराना कपडा बाजार तक मुख्य सडक का सडक का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा,एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी तथा पी0सी0सी0ब्लाक द्वारा नाली का सुधार | 185.00 | 31.19 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कार्य। | | |
| **39** | जोन–3 वार्ड 31 के अन्तर्गत दुर्गा मन्दिर से से बाबा कुटी रोड तक जानें वाली मुख्य सडक चिडीमार रोड का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा,एवं साइड पटरी इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा नाली का सुधार कार्य। | 260.00 | 33.15 |
| **40** | जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत 150 फिट रोड काली मन्दिर से म0न0–133 / 23 ए तथा म0न0–133 / 30 ए से प्लाट न0–51 तक का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक ,एवं नाली का सुधार कार्य। | 285.00 | 39.79 |
| **41** | जोन–3 वार्ड 54 के अन्तर्गत हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा 6 न0 गेट चौराहे से 10 दुकान मार्केट को जानें वाली मुख्य सडक,एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य। | 265.00 | 39.81 |
| **42** | जोन–3 वार्ड 58 के अन्तर्गत दासू कुऑ चौराहे से काठ की पुलिया तक सडक, नाली एवं साइड पटरी का सुधार कार्य। | 545.00 | 39.68 |
| **43** | जोन–3 वार्ड 58 के अन्तर्गत हमीरपुर रोड से म0न0–30 अखिलेश गुप्ता के मकान तक हाट मिक्स द्वारा सडक का सुधार कार्य। | 445.00 | 36.88 |
| **44** | जोन–3 वार्ड 88 के अन्तर्गत गुन्जन विहार में म0न0–1103 से गुरूकृपा स्वीट तक नाली एवं साइड पटरी एवं हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक, का सुधार कार्य। | 440.00 | 39.53 |
| **45** | जोन–3 वार्ड 88 के अन्तर्गत सेक्टर जे0 में गुलाबी बिल्डिंग से कम्यूनिटी सेन्टर पुलिया के समीप तक नाली, साइड पटरी तथा हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का सुधार कार्य। | 490.00 | 39.99 |
| **46** | जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत स्थित बर्रा–2 सेक्टर–4 मे एम0आई0जी0–53 से एम0आई0जी0–84–ए तक सड़क,फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य। | 290.00 | 39.90 |
| **47** | जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत स्थित बर्रा–2 डबल रोड से एम0आई0जी0–53 तक सड़क,फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य। | 160.00 | 34.40 |
| **48** | जोन–3 वार्ड 88 के अन्तर्गत गुन्जन विहार में गुरू कृपा स्वीट हाउस से म0न0–5 ए अमित तिवारी के मकान तक नाली,साइड पटरी एवं इन्टरलाकिंग टरइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य। | 270.00 | 34.74 |
| **49** | जोन–3 वार्ड–90 के अन्तर्गत एच–2 ब्लाक में म0न0–128 / 45 से 128 / 220 तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 450.00 | 39.24 |
| **50** | जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत बर्रा दो सेक्टर–4 एम0आई0जी0–01 से 28 तक सड़क,फुटपाथ व नाली का | 271.00 | 39.78 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सुधार कार्य। | | |
| **51** | जोन–4 वार्ड 107 के अन्तर्गत नानपारा मस्जिद से मुहम्मदी मस्जिद होते हुए बाबा स्वीट हाउस तक सड़क सुधार कार्य। | 450.00 | 39.89 |
| **52** | जोन–4 वार्ड 49 के अन्तर्गत 7/120 आर्य नगर पानी टंकी मोड़ से 7/154 तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 300.00 | 34.36 |
| **53** | जोन–4 वार्ड 13 के अन्तर्गत 7/32 लोटस स्कूल से चित्रकूट अपार्टमेन्ट तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क का सुधार कार्य। | 210.00 | 36.35 |
| **54** | जोन–4 वार्ड 76 के अन्तर्गत ब्रह्मदेव पीपलेष्वर मन्दिर चौराहे से वी.आई.पी. रोड एल्गिन मिल तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 450.00 | 39.85 |
| **55** | जोन–4 वार्ड 01 के अन्तर्गत अग्रवाल जनरल स्टोर/नूर मोहम्मद के मकान से रानीघाट पुलिस चौकी, रषीद के घर तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य। | 390.00 | 39.99 |
| **56** | जोन–4 वार्ड 01 के अन्तर्गत थाना कोहना मोड़ से विष्णुपुरी धर्मषाला मोड़ तक एवं 4/213 प्राइमरी स्कूल जाने वाली सड़क, रोड साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य। | 355.00 | 39.34 |
| **57** | जोन 05 वार्ड 69 गुजैनी के अन्तर्गत नवनिर्मित नाले से मकान नं0 81 तक हॉट मिक्स प्लांट द्वारा रोड का निर्माण कार्य। | 340.00 | 36.85 |
| **58** | जोन 05 वार्ड 52 में 5–एच–2 से 5 पी–18 11–एम–15 से 13एम–7 से 13–एम–14 तक हॉट मिक्स प्लांट द्वारा डामर रोड एवं साइड में इण्टर लाकिंग /नाली का निर्माण कार्य। | 240.00 | 39.86 |
| **59** | जोन 05 वार्ड 73 बर्रा 4 सब्जी मण्डी चौराहे से रफाका नाले तक सड़क सुधार का कार्य। | 250.00 | 34.74 |
| **60** | जोन 05 वार्ड 73–74 बर्रा डबल रोड से सब्जी मण्डी चौराहा बर्रा–4 सड़क का सुधार कार्य। | 300.00 | 34.05 |
| **61** | जोन 05 वार्ड 62 बर्रा 8 रामगोपाल चोराहे से साई बिल्डिंग तक बाई पास की ओर सड़क का सुधार कार्य। | 400.00 | 33.47 |
| **62** | जोन 05 वार्ड 07 अन्तर्गत गोपाल नगर बस्ती की रोड, नाली एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य। (पार्ट–ए) | 500.00 | 39.63 |
| **63** | जोन 05 वार्ड 07 अन्तर्गत गोपाल नगर बस्ती की रोड, नाली एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य। (पार्ट–बी) | 500.00 | 39.63 |
| **64** | जोन 05 वार्ड 62 बर्रा78 डबल रोड से सी ब्लाक पेट्रोल पम्प के पीछे की सड़क का सुधार कार्य। | 300.00 | 35.92 |
| **65** | जोन 05 वार्ड 56 रतनलाल नगर में सौरभ गेस्ट हाउस के सामने से रफाका नाला तक सड़क का सुधार कार्य। | 400.00 | 39.89 |
| **66** | जोन 05 वार्ड 98 में चावला चौ0 से बाटा चौ0 तक सड़क का सुधार कार्य। | 300.00 | 39.90 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| **67** | जोन 05 वार्ड 98 में बाटा चौ0 से दुर्गा मन्दिर होते हुए रामलीला मैदान रोड तक सड़क का सुधार कार्य। | 300.00 | 39.83 |
| **68** | जोन 05 वार्ड 56 रतनलाल नगर में शास्त्री चौक से बर्रा–4 पुलिया तक सड़क सुधार कार्य। | 400.00 | 38.86 |
| **69** | जोन 05 गोविन्द नगर में सी0टी0आई0 चौराहे से दुर्गा मन्दिर तक सड़क का सुधार कार्य। | 400.00 | 39.76 |
| **70** | जोन 05 वार्ड 60 में प्राइमरी स्कूल रोड का सुधार कार्य। | 400.00 | 39.87 |
| **71** | जोन 05 वार्ड 38 स्थित जैन मोटर्स से इन्डिया कोटिंग तक सड़क का सुधार कार्य। | 300.00 | 39.06 |
| **72** | जोन 05 वार्ड 38 स्थित शन्टी बन्टी ग्लास से 123/645 तथा गुरूद्वारा से सलीम बाडी तक सड़क का सुधार कार्य। | 200.00 | 39.82 |
| **73** | जोन 05 वार्ड 38 मस्जिद रोड मकान नं0 218 से खान बेलिडंग तक मकान नं0 219 से 220 तक सड़क का सुधार कार्य। | 200.00 | 32.06 |
| **74** | जोन 05 वार्ड 60 बर्रा–8 आजाद पार्क से डी ब्लाक की ओर सड़क का सुधार कार्य। | 450.00 | 37.66 |
| **75** | जोन 05 वार्ड 62 बाई पास रोड से चौ0 राम गोपाल चौराहे तक पूर्वीसड़क की साइड पटरी व नाली का सुधार कार्य। | 450.00 | 37.51 |
| **76** | जोन 05 वार्ड 64 स्वराज्य नगर में कालपी रोड मकान नं0 20 बी से मां कालेश्वर तक सड़क का सुधार कार्य। | 500.00 | 32.09 |
| **77** | जोन 05 वार्ड 64 स्वराज्य नगर अर्न्तगत महाकालेश्वर मन्दिर से मकान नं0 368 बी पुनीत वसुन्धरा के मकान तक सड़क का सुधार कार्य। | 450.00 | 39.17 |
| **78** | जोन 05 वार्ड 33 नशयन स्कूल के पीछे से लंका तिराहे तक सड़क सुधार का कार्य। | 400.00 | 38.44 |
| **79** | जोन 05 वार्ड 52 दबौली के अन्तर्गत दुर्गामन्दिर के सामने कृष्णा इलेक्ट्रानिक से 68 ई/1 तक सड़क का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य। | 500.00 | 38.41 |
| **80** | जोन 05 वार्ड 56 में रतन लाल नगर में एच0 आई0 जी0 47 से 57 एवं 14 से 26 तथा 66 से 56 एवं 14 से 93 तथा 93 से 228 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य। | 671.00 | 39.67 |
| **81** | जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपरी अन्तर्गत आजाद पार्क के सामने म0न0–3/100 से मौनीघाट रोड तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 400.00 | 31.05 |
| **82** | जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपरी अन्तर्गत विजय स्मृति गेस्ट हाउस से चिडियाघर क्रासिग तक सडक एवं फुटपाथ का सधुार कार्य। | 465.00 | 39.94 |
| **83** | जोन–6 वार्ड–14 अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत एवन मार्केट अनिल मैगो से कांशीराम अर्पाटमेन्ट तक नाली एवं | 410.00 | 39.85 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सड़क का सुधार कार्य। | | |
| **84** | जोन–6 वार्ड–14 अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत रानीगंज से श्री अजय पाण्डेय (117/एन/203) के मकान से भुवनेश्वर धाम मन्दिर तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 350.00 | 33.61 |
| **85** | जोन–6 वार्ड–14 अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत ए0बी0सी0 अपार्टमेन्ट से कांशीराम अपार्टमेन्ट होते हुये म0न0–117/एल/135 श्रुति कॉटेज तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 250.00 | 32.06 |
| **86** | जोन–6 वार्ड–16 ख्यौरा अन्तर्गत चन्द्रबिहार नगर में म0न0–एच0आई0जी0–98 सेम0न0–एम0आई0जी0–23 एवं म0न0–एम0आई0जी0–18 बी से पार्क के कोने तक सडक नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 450.00 | 39.97 |
| **87** | जोन–6 वार्ड–20 नारामऊ अन्तर्गत आशादेवी मन्दिर के सामने सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 400.00 | 31.40 |
| **88** | जोन–6 वार्ड–20 नारामऊ अन्तर्गत टेलीफोन एक्सचेज के किनारे एवं आशा देवी मन्दिर के पास सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 400.00 | 39.98 |
| **89** | जोन–6 वार्ड–26 विजय नगर के अन्तर्गत ब्लाक नं0 63/1 से मनकामेश्वर मन्दिर होते हुये ब्लाक नं0–75/8 तक नाली फुटपाथ निर्माण कार्य एवं हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य। | 285.00 | 33.28 |
| **90** | जोन–6 वार्ड–63 गीता नगर अन्तर्गत शारदा नगर में अनुराग सर्जिकल से शोभन स्वीट क्रासिंग तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 600.00 | 39.99 |
| **91** | जोन–6 वार्ड–63 गीतानगर के अन्तर्गत शारदा नगर मे म0न0– 117/क्यू/731 से राधाकृष्ण मन्दिर तक सडक नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 225.00 | 32.39 |
| **92** | जोन–6 वार्ड–68/57 के अन्तर्गत रावतपुर गांव मार्केट मे बकरमण्डी तिराहा से रामलला स्कूल तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 550.00 | 39.75 |
| **93** | जोन–6 वार्ड–61 लाजपत नगर में म0न0–120/455 से म0न0–120/469 म0न0–120/494 होते हुये स्टार लाइट स्कूल तक तथा म0न0–120/494 से किशन कुमार गौतम तक नाली सडक पटरी तथा सडक सुधार कार्य। | 823.00 | 38.36 |
| | **योग** | **39910.00** | **3465.52** |

उपरोक्त सूची के क्रम संख्या 46 एवं 47 के कार्य त्वरित विकास योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत है तथा क्रम संख्या 55 एवं 82 के कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत नगर निगम की स्वीकृत कार्ययोजना एवं क्रम संख्या 86 का कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत उ0 प्र0

ह0........महापौर

आवास एवं विकास परिषद की कार्ययोजना में स्वीकृत है। क्रम संख्या 81, 87 एवं 90 के कार्यो की स्वीकृति उ0प्र0 नगरीय सडक सुधार योजनान्तर्गत प्राप्त हो चुकी है।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | लम्बाई (मीटर में) | आगणन धनांक(लाख में) |
|---|---|---|---|
| **46** | जोन–3 वार्ड–80 के अर्न्तगत स्थित बर्रा–2 सेक्टर–4 मे एम0आई0जी0–53 से एम0आई0जी0–84–ए तक सड़क,फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य। | 290.00 | 39.90 |
| **47** | जोन–3 वार्ड–80 के अर्न्तगत स्थित बर्रा–2 डबल रोड से एम0आई0जी0–53 तक सड़क,फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य। | 160.00 | 34.40 |
| **55** | जोन–4 वार्ड 01 के अन्तर्गत अग्रवाल जनरल स्टोर/नूर मोहम्मद के मकान से रानीघाट पुलिस चौकी, रषीद के घर तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य। | 390.00 | 39.99 |
| **81** | जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपरी अन्तर्गत आजाद पार्क के सामने म0न0–3/100 से मौनीघाट रोड तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 400.00 | 31.05 |
| **82** | जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपरी अन्तर्गत विजय स्मृति गेस्ट हाउस से चिडियाघर क्रासिग तक सडक एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 465.00 | 39.94 |
| **86** | जोन–6 वार्ड–16 ख्यौरा अन्तर्गत चन्द्रबिहार नगर में म0न0–एच0आई0जी0–98 सेम0न0–एम0आई0जी0–23 एवं म0न0–एम0आई0जी0–18 बी से पार्क के कोने तक सडक नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 450.00 | 39.97 |
| **87** | जोन–6 वार्ड–20 नारामऊ अन्तर्गत आशादेवी मन्दिर के सामने सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 400.00 | 31.40 |
| **90** | जोन–6 वार्ड–63 गीता नगर अन्तर्गत शारदा नगर में अनुराग सर्जिकल से शोभन स्वीट क्रासिंग तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 600.00 | 39.99 |
| | **योग** | **3155** | **296.64** |

अतः उपरोक्त 08 कार्य धनांक रू0 296.64 लाख को छोडते हुये अवशेष 85 कार्य धनांक रू0 3168.88 लाख, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

ह0........महापौर

मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि उक्त वर्णित व्ययानुमान पी.डब्लू.डी. की सेड्यूल दरों से तैयार किये गये है, जिनको शासन ने इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की है कि मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। इन सभी व्ययानुमानों को कानपुर विकास प्राधिकरण की दरों में परिवर्तित कर लिया जायेगा।

सभापति ने सदस्यों को स्पष्ट किया कि लोक निर्माण विभाग की दरों से तैयार किये गये व्ययानुमानों को कानपुर विकास प्राधिकरण की दरों में परिवर्तित करने पर नगर निगम को लगभग रूपये दो–ढाई करोड़ की बचत होगी, जिससे अन्य विकास कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

**........... स्वीकृति प्रदान की गई।**

**<u>प्रस्ताव संख्या–285</u>**

नगर आयुक्त महोदय के आदेश/निर्देश के क्रम में कानपुर महानगर के समस्त अभियन्त्रण खण्डों के विभिन्न क्षेत्रों में सडकों के निर्माण हेतु निम्न सडकों के व्ययानुमान कार्यकारिणी समिति के समक्ष संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

| क्र0स0 | कार्य का नाम | लम्बाई (मी0 में) | धनराशि (लाख में ) |
|---|---|---|---|
| 1 | जोन–1 वार्ड–02 के अन्तर्गत कोपरगंज चौराहे से झकरकटी मोड जी.टी.रोड तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य | 1130.00 | 91.36 |
| 2 | जोन–1 वार्ड–40 के अन्तर्गत बैक आफ बडौदा से रिजवी रोड नई सडक एवं मेन रोड से अम्बेदकर पार्क तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य। | 815.00 | 63.05 |
| 3 | जोन–1 वार्ड 97 व 105 के अन्तर्गत नरौना चौराहे से घटाघर चौराहे तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य। | 1140.00 | 163.93 |
| 4 | जोन–1 के वार्ड 85 व 102 के अन्तर्गत मूलगंज चौराहे से घटाधर चौराहे तक (लाटूश रोड ) का सडक, एवं नाली का सुधार कार्य। | 963.00 | 172.34 |
| 5 | अभियंत्रण खण्ड–2 वार्ड 95 के अर्न्तगत कुलश्रेष्ठ भवन से फूलमती तिराहे तक नाली एव सडक सुधार। | 810.00 | 78.50 |
| 6 | अभियंत्रण खण्ड–2 वार्ड 70 के अर्न्तगत जे0के0 कालोनी में मकान नं0 181/3 से मकान सं0 245/4 तक सफेद टंकी पार्क के पास सडक का सुधार कार्य। | 786.00 | 45.93 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | अभियंत्रण खण्ड–2 वार्ड 70 तिवारीपुर में ग्रेटर कैलाश में 11 सडकों का सुधार कार्य। | 1140.00 | 74.82 |
| 8 | जोन–2 वार्ड 19सनिगवॉ के अर्न्तगत मथुरापुरवा गॉव की आन्तरिक गलियों का इंटरलाकिग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य। | 627.00 | 44.86 |
| 9 | जोन–2 वार्ड 19सनिगवॉ के अर्न्तगत लोधनपुरवा गॉव की मुख्य सडक एवं आन्तरिक गलियों का इंटरलाकिग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य। | 817.00 | 48.93 |
| 10 | जोन–2 वार्ड 19सनिगवॉ के अर्न्तगत ऊचटी गॉव की मुख्य सडक एवं आन्तरिक गलियों का इंटरलाकिग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य। | 698.00 | 50.97 |
| 11 | जोन–2 वार्ड 66 के अर्न्तगत डिफेन्स कालोनी मे म0 नं0 डी 493 से डी 395 तक एवं इससे सन्निकट तीन सडको पर केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य। | 836.00 | 86.18 |
| 12 | वार्ड 37 परदेवनपुर कें ई ब्लाक में गुरूहरराय स्कूल के निकट 6 सडकों पर केसी नाली एवं एच0एम0पी0 द्वारा सडक सुधार कार्य। | 575.00 | 55.36 |
| 13 | वार्ड 53 के अर्न्तगत भवनं सं0 डी–214 से डी–166 तक एवं डी–18 मी मोड से डी 357 तक एवं ओमर वैश्य विद्यालय के निकट 3 सकडो पर एच0एम0पी0द्वारा सडक सुधार कार्य। | 1171.00 | 195.34 |
| 14 | जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर के सी–ब्लाक में मं0नं0सी 723 से सी 740 से सी 540 के आगे मोड से सी 512 तक एवं भल्ला टटिया, श्याम नगर शेल्टर होंम के निकट व एच0आई0जी 1 से रक्षा विहार मोड तक केसी नाली एवं एच.एम0पी द्वारा सडक सुधार कार्य। | 2139.00 | 185.64 |
| 15 | जोन–2 वार्ड 91 के अर्न्तगत यशोदा नगर मे नमक फैक्ट्री चौराहे (सी0सी0रोड) से निजाम चौराहे तक एच0एम0पी0 द्वारा सडक एवं एक तरफ गहरी नाली का निर्माण । | 1085.00 | 126.74 |
| 16 | जोन–2 वार्ड 10 चकेरी के सीवेज फाम मे अलोलापुर हेड–अप होते हुये खजुरिया पुलिया तक सडक का निर्माण कार्य। | 885.00 | 54.86 |
| 17 | जोन–3 वार्ड 24 के अन्तर्गत तुलसी विहार केशव नगर में म0न0–620/5,620/20, 620/126 ,620/85 एवं 620/62 को मिलानें वाली ऑतरिक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 560.00 | 70.51 |
| 18 | जोन–3 वार्ड 80 के अन्तर्गत संकट मोचन हनुमान मन्दिर से नहरिया तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 360.00 | 52.20 |
| 19 | जोन–3 वार्ड 80 के अन्तर्गत मसनस पार्क के चारों तरफ सडक, नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 270.00 | 48.80 |
| 20 | जोन–3 वार्ड 81 के अन्तर्गत सैनिक स्कूल से कच्चे नाले तक सडक साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य। | 480.00 | 76.11 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | जोन–3 वार्ड 81 के अन्तर्गत भारत गैस ऐजेन्सी से तोमर पी0सी0ओ0 तक सडक साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य। | 1020.00 | 141.23 |
| 22 | जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत टी0पी0 नगर में म0न0–133/125 से गोस्वामी नगर रेलवे कालोनी तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक ,साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य। | 275.00 | 45.4 |
| 23 | जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत टी0पी0 नगर में म0न0–133/79 से इन्द्रा पार्क तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक ,साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य। | 265.00 | 63.50 |
| 24 | जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत म0न0–133/263 से म0न0–133/239, 133/264 से 133/368 एवं 133/364 से 133/325 तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक , साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य। | 375.00 | 117.87 |
| 25 | जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत टी0पी0 नगर में प्रथम 60 फिट मार्ग का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक ,साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य। | 315.00 | 92.51 |
| 26 | जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत टी0पी0 नगर में तृतीय 60 फिट मार्ग का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक ,साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य। | 315.00 | 67.19 |
| 27 | जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत टी0पी0 नगर में पापुलर धर्मकॉटा के पीछे वाली सडक का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा ,साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य। | 345.00 | 111.10 |
| 28 | जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत टी0पी0 नगर में प्रथम 40 फिट सुभाष मार्ग का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक ,साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य। | 396.50 | 109.87 |
| 29 | जोन–3 वार्ड 25 के अन्तर्गत सॉई मन्दिर के सामनें से बादशाह नमकीन फेक्ट्री तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 250.00 | 56.75 |
| 30 | जोन–3 वार्ड 88 के अन्तर्गत भारत गैस ऐजेंन्सी से जनता प्रापटी डीलर के समीप तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 450.00 | 62.63 |
| 31 | जोन–3 वार्ड 25 के अन्तर्गत म0न0– 127/219 राजीव गुप्ता में मकान से म0न0–127/569 राजीव पार्क तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 210.00 | 58.30 |
| 32 | जोन–3 वार्ड 88 एवं 83के अन्तर्गत कर्रही मेंन रोड से काठ की पुलिया तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 1084.00 | 120.00 |
| 33 | जोन–3 वार्ड 25 के अन्तर्गत बारादेवी मन्दिर के सामनें से हमीर पुर रोड तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य। | 215.00 | 46.10 |

ह0........महापौर

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | जोन–4 वार्ड 49 के अन्तर्गत ग्वालिन चौराहे से गैस्ट्रोलीवर अस्पताल होते हुए गोपाल मोड़ तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य। | 1290.00 | 109.07 |
| 35 | जोन–4 वार्ड 15 के अन्तर्गत टैफ्को चौराहा से आनन्देश्वर मन्दिर गेट होते हुए यूनियन बैंक तिराहा तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क का सुधार कार्य। | 860.00 | 43.53 |
| 36 | जोन–6 वार्ड–8 मसवानुपर के अन्तर्गत शराब ठेका से शिव कुमारी स्कूल होते हुए नीलम मेमोरियल स्कूल तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य। | 1500.00 | 99.89 |
| 37 | जोन–6 वार्ड–14/87 के अन्तर्गत पुराना बस स्टॉप चौराहा से अनिल आटा चक्की तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य। | 540.00 | 72.30 |
| | **योग** | **26992.5** | **3203.67** |

कानपुर महानगर के समस्त अभियन्त्रण खण्डों में विभिन्न क्षेत्रों में 37 सडकों के निर्माण की धनराशि रू0 3203.67 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 136(2) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि तद्नुसार कार्यों की स्वीकृति हेतु उ0प्र0 शासन को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

श्री आदर्श दीक्षित ने शिकायत करते हुये कहा कि जोन–5 के अन्तर्गत मेरे वार्ड का कोई कार्य नही लिया गया है, पूर्व से ही मेरे वार्ड की उपेक्षा की जा रही है, इस पर मुख्य अभियन्ता ने कहा कि 93 सड़कों में जोन–5 के लगभग 25 कार्य लिये गये है।

सभापति ने समिति के समक्ष बताया कि इधर देखने में आ रहा है कि कतिपय मा0 विधायकगण नगर निगम मुख्यालय आकर अपने विधान सभा क्षेत्र में कार्य कराये जाने हेतु अनावश्यक रूप से दबाव बनाते है, जबकि मा0 विधायकों को विधायक निधि मिलती है और उस विधायक निधि से नगर निगम को कोई भी धनराशि उपलब्ध नही कराई जाती है। नगर निगम निधि के ऊपर निर्वाचित पार्षदों का अधिकार है। नगर निगम निधि से समस्त वार्डो पर समानता के आधार पर कार्य कराये जाने चाहिये। इसमें भी विसंगति दृष्टिगोचर होती है। अतः कार्यकारिणी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि तेरहवें वित्त आयोग, अवस्थापना निधि या अन्य कोई भी निधि हो भविष्य में विकास से छूटे वार्डो पर एकरूपता लाने हेतु समान रूप से कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इससे भी सहमत हूँ कि वर्तमान में शासन की कार्य प्रणाली परिवर्तित होने से प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति ठीक नही है। उसी का परिणाम है कि मा0 विधायकगण नगर निगम आकर दबाव बना रहे है। मा0 विधायकों के क्षेत्रों में भी समानता के आधार पर कार्य कराया जाये, क्योंकि मा0 सांसद/मा0 विधायक

ह0........महापौर

निर्वाचित नगर निगम के पदेन सदस्य होते है। वैसे मा0 सांसद/विधायक केन्द्र प्रदेश में अपने निर्वाचित सदन में आवाज उठा कर अपने क्षेत्र में विकास हेतु योजनाओं को लाने का प्रयास किया जाना चाहिये। अतएव उपरोक्त 37 कार्य जो समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है उन पर विचार किया जाये और अन्य प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर साकारात्मक सोच के साथ विचार किया जाये।

**.......... स्वीकृति प्रदान की गई।**

**प्रस्ताव संख्या—286**

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 132(3) के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रायः देखने में आ रहा है कि नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले अति महत्वपूर्ण/तात्कालिक कार्य यथा् सड़क पर पाइप लाइन के फटने से लीकेज, सीवर चोक हो जाने, डॉट नाले के ध्वस्त हो जाने, पुलिया मरम्मत अथवा क्रास इत्यादि के कार्यो में जिला प्रशासन की रोड कटिंग सम्बन्धी अनुमति न होने के कारण क्षेत्रीय पुलिस थाने द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है जिससे सम्बन्धित क्षेत्र के नागरिकों को समस्या का त्वरित समाधान दिये जाने मे कठिनाई उत्पन्न होती है। उल्लेख करना है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 301 से 303 तक में स्पष्ट उल्लेख है कि उपरोक्त प्रकार के किसी भी कार्य को कराये जाने की अनुमति का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर में निहित है एवं उक्त हेतु जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नही है।

सभापति ने कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं कार्य की तात्कालिकता के दृष्टिगत रोड कटिंग कराया जाना आवश्यक होता है। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये मण्डलायुक्त महोदय को पत्र के साथ प्रेषित किया जाये।

**.......... स्वीकृति प्रदान करते हुये मण्डलायुक्त को पत्र प्रेषित करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।**

**प्रस्ताव संख्या—287**

आयुक्त, कानपुर मण्डल,कानपुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 29.04.2014 में लिए गये निर्णय लेते हुए निर्देश दिये गये कि नगर निगम द्वारा संचालित चिकित्सा यूनिट चिकित्सकों के न होने के कारण सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, इन यूनिटों का किराये पर दे दिया जाये, इस पर मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर नगर ने कहा कि जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत शहरी क्षेत्र में पी0एच0सी0 खोली जानी हैं संचालन के लिए 23(तेईस) चिकित्सा यूनिटों प्रतिमाह रू014हजार, प्रति यूनिट किराये पर प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव दिया है, इससे इन भवनों पर नगर निगम द्वारा खर्च किया जा रहा रख—रखाव एवं विद्युत व्यय की बचत होगी साथ ही प्रति माह आय भी प्राप्त होगी। मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर ने चिहिन्त कर किराये पर प्राप्त किये जाने वाली यूनिटों की तालिका(संलग्न)प्रेषित की है, इस तालिका का अध्ययन कर नगर स्वास्थ्य

अधिकारी(चि0) अवै0 ने किराये पर दी जा सकने वाली यूनिटों की तालिका(संलग्न) तैयार की है। इन 23 चिकित्सा यूनिटों के भवन जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत शहरी क्षेत्र में पी0एच0सी0 संचालित किये जाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को संचालन के लिए विधिक/समुचित अनुबन्ध कर किराये पर दिये जाने के लिए मा0कार्यकारिणी समिति का स्वीकृति आवश्यक है।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में नगर निगम चिकित्सा विभाग को डेड कार्डर घोषित कर दिया, जिससे नगर निगम को अपने सीमित संसाधन से औषधालय, चिकित्सालय चलाने में कठिनाई हो रही है और वह लगभग बन्द पड़े है। अतः प्रस्ताव विचार करने योग्य है, इससे रू0 14000 प्रति यूनिट प्रतिमाह नगर निगम की आय होगी।

**.......... स्वीकृति प्रदान की गई।**

**<u>प्रस्ताव संख्या–288</u>**

दिनांक 14.08.2013 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक के टेबल प्रस्ताव सं0243 में नगर निगम द्वारा संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सकीय सेवायें दे रहे आनरेरी चिकित्सक होम्योपैथिक, एलोपैथिक द्वारा दिये गये टेबुल प्रस्ताव पर विचार किया गया । उक्त पर निम्न निर्णय लिया गया :–

**..........जनहित में निर्णय लिया गया कि मानदेय पर रखे गये नगर निगम होम्योपैथिक/ एलोपैथिक चिकित्सकों का मानदेय रू0 2,000/– के स्थान पर रू0 5,000/– प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। क्या दन्त चिकित्सक भी इसमें आएँगे।**

मा0 कार्यकारिणी समिति की जिज्ञासा के अनुपालन में अवगत कराना है कि दन्त चिकित्सक भी एलोपैथिक चिकित्सक की तरह डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त कर मरीजों का इलाज करते हैं, अस्तु दन्त चिकित्सक को भी होम्योपैथिक/एलोपैथिक चिकित्सक की भॉति मानदेय रू0 2,000/– के स्थान पर रू0 5,000/– प्रतिमाह दिये जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

**.......... दन्त चिकित्सकों को भी होम्योंपैथिक/एलोपैथिक चिकित्सक की भाँति मानदेय रू0 2000/– के स्थान पर रू0 5000/– प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0........महापौर

**<u>प्रस्ताव संख्या–289</u>**

श्री कमलेश त्रिवेदी दद्दा द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित टेबिल प्रस्ताव पर विचार करना :–

जोन–6 जोनल कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले वार्डो की जनता को जोन कार्यालय पहुँचने में अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि जोन–6 कार्यालय जोन के मध्य में न होने के बजाय बिल्कुल एक तरफ पड़ता है। जोन–6 कार्यालय मरियमपुर में न बैठने की जगह है न कोई सुविधायें है।

अतः कार्यकारिणी के माध्यम से अनुरोध है कि जोन–6 कार्यालय को नगर निगम मुख्यालय में स्थानान्तरित किया जाये ताकि कार्यालय जोन–6 के वार्डो के मध्य में आ सकें।

समिति के सदस्यों ने सभापति से अनुरोध किया कि मरियमपुर स्थित जोन–6 के जोनल कार्यालय में स्थान का अभाव है और शहर के एक तरफ पड़ता है। अतएव इसे मोतीझील में विस्थापित किया जाये।

सभापति ने भी कहा कि मेरे भी संज्ञान में लाया गया है कि वहाँ पर महिलाओं के लिये प्रसाघन की कोई व्यवस्था नही है।

श्री राजीव भार्गव, प्रभारी अपर नगर आयुक्त ने बताया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत ही जोनल कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। अतएव इन्हें मुख्यालय में वापस विस्थापित नही किया जा सकता है, जबकि इसके सम्बन्ध में पूर्व में नवाबगंज अस्पताल में विस्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव लाया जा चुका है।

**......... नवाबगंज चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण कर उसकी त्रुटियों को दूर करते हुये जोनल कार्यालय जोन–6 विस्थापित किया जाये साथ ही जोनल कार्यालय जोन–3 को मिक्की हाउस में विस्थापित करने हेतु परीक्षण कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**

समिति के सदस्यों ने प्रकाश बिन्दुओं तथा हैण्डपम्प अधिष्ठापन के सम्बन्ध में अवगत कराने के लिये कहा। जिस पर मुख्य अभियन्ता मार्गप्रकाश ने अवगत कराया कि सभी वार्डो में कल दिनांक–31.05.2014 से प्रकाश बिन्दु लगने प्रारम्भ हो जायेंगे। मलिन बस्तियों में भी परीक्षण कराकर मार्गप्रकाश बिन्दु लगवा दिये जायेंगे। महाप्रबन्धक, जलकल विभाग ने बताया कि हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु निविदा प्राप्त हो चुकी है, दिनांक–03.06.2014 से हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा साथ ही हैण्डपम्प खराब होने या अन्य कोई शिकायत करने हेतु अपना मोबाइल नं0–9415007690 भी बताया।

ह0........महापौर

श्री आदर्श दीक्षित ने कहा कि मा0 सांसद/विधायक निधि से भी हैण्डपम्प लगे है, जब कभी हैण्डपम्प ठीक करने की शिकायत की जाती है, तो गैंग जलकल विभाग द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प ठीक करने के स्थान पर मा0 सांसद/विधायक निधि के लगे हैण्डपम्पों को ठीक करने को बता दिया जाता है।

सभापति ने हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं रिबोर हेतु जल निगम के साथ एक बैठक आहूत करने हेतु महाप्रबन्धक, जलकल विभाग को निर्देशित किया, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि हैण्डपम्प रिबोर जल निगम करायेगा या जलकल, क्योंकि प्रायः यह कहा जाता है कि हैण्डपम्प रिबोर जल निगम द्वारा किये जायेंगे।

समिति के सदस्यों ने कार्यसूची के अन्य बिन्दुओं पर विचार–विमर्श का अनुरोध किया, जिस पर सभापति ने रोष व्यक्त करते हुये कहा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग है तथा जनतंत्र के पूरक भी है। आज ऐसी विषम स्थिति दृष्टिगोचर हुई है कि कार्यपालिका प्रमुख बैठक में नही है न ही नगर आयुक्त, न महाप्रबन्धक जलकल और न मुख्य अभियंता मार्गप्रकाश, ऐसे में कार्यसूची के बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना समीचीन नही होगा। अतः भविष्य की आहूत बैठक में कार्यपालिका प्रमुख (नगर आयुक्त) को यह तय करना होगा कि बैठक छोड़कर न जाये। बैठक के सम्बन्ध में नगर आयुक्त के संज्ञान में लाकर ही तिथि निर्धारित की जाती है। अतः ऐसा कृत्य आपत्तिजनक है। कार्यपालिका में सफाई कर्मी से लेकर कैबिनेट सचिव तक होते है। विधायिका निर्णय लेती है, जिसका अनुपालन कार्यपालिका ही सुनिश्चित कराती है। अतः उक्त के दृष्टिगत पूर्व से चल रही बैठक को छोड़कर जिलाधिकारी या मण्डलायुक्त की बैठक में जाने का औचित्य प्रतीत नही होता है। इन परिस्थितियों में बैठक स्थगित की जाती है और शेष कार्यसूची के अन्य बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हेतु शीघ्र ही कोई तिथि निर्धारित कर आप लोगों को सूचित किया जायेगा।

ह0.....महापौर

**(जगत वीर सिंह द्रोण)**

महापौर/सभापति

ह0........महापौर